[2018] 5 एस. सी. आर 398

स्वराज अभियान (VI)

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2015 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 857)

18 मई, 2018

[मदन बी. लोकुर और एन. वी. रमना, जे. जे.]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,

2005 : एसएस। 3 (1) , 3 (3) , 3 (4) और 14 (6); अनुसूची I पैराग्राफ 7, अनुसूची II पैराग्राफ 29-यू/आर्ट दायर की गई रिट याचिका। 32 में से

अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों को उजागर करते हुए संविधान

- यह आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "अनुमोदित श्रम बजट" अधिनियम के सार का उल्लंघन करता है; कि राज्यों को उपलब्ध कराए गए धन में अनुचित कमी की गई थी और ऐसा थाः

मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में देरी-आयोजितः केंद्रीय

सरकार सांविधिक रूप से (राष्ट्रीय रोजगार द्वारा) सशक्त है।

गारंटी निधि नियम) निधियों की जांच और मूल्यांकन करने के लिए

जारी किया गया-इसलिए, "अनुमोदित श्रम बजट" का निर्धारण मनमाना नहीं है-यदि राज्यों को धन में अनुचित कमी की जाती है, तो यह राज्यों को इस पर आपत्ति करनी है-किसी भी राज्य द्वारा इस तरह की आपत्ति के अभाव में, याचिका में ऐसी याचिका नहीं उठाई जा सकती है-यह केंद्र सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वह देरी से बचने के लिए समाधान खोजे।

राज्यों को धन जारी करना-एस. एस. के संदर्भ में। 3 (3) और अधिनियम की 3 (4) और अनुसूची II, श्रमिक एक पखवाड़े के भीतर मजदूरी का हकदार है, जिसमें विफल रहने पर वह मुआवजे का हकदार है -

अनुपालन राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर है राज्य और केंद्र सरकारों को एक तत्काल तैयारी करने का निर्देश दिया जाता है

श्रमिकों को मजदूरी और मुआवजे का भुगतान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम-राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006-आर। 5 .

अदालत ने

पकड़नाः 1.1 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का नियम 5

निधि नियम, 2006 अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान जारी करने का प्रावधान करता है।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष (एन. ई. जी. एफ.)। इस प्रकार। द.

केंद्र सरकार को वैधानिक रूप से जांच करने का अधिकार है और

398 स्वराज अभियान (VI) v. भारत और ओआरएस का संघ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की जाने वाली निधियों का आकलन करना। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाता है

प्रशासन। इसलिए, ऐसा नहीं है कि 'सहमत श्रम बजट' या 'अनुमोदित श्रम बजट' केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से तय किया जाता है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि प्रक्रिया वैधानिक द्वारा समर्थित है।

प्रावधान। [पारस 18 और 19] [408-सी-डी, एच; 409-ए-बी]

1.2 श्रम बजट को मंजूरी या अंतिम रूप देते समय सार्थक चर्चा आवश्यक है। तथ्य यह है कि इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुमानित व्यय को पार कर लिया है 'श्रम बजट के लिए सहमति' इस बात का संकेत है कि इस योजना को या तो बेरोजगारों या अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है

समिति को थोड़ा कड़ा किया जा रहा है। धन जारी करना एक अच्छे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए है और इसलिए धन की त्वरित और पर्याप्त उपलब्धता उद्देश्य होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, यह कहना सही नहीं है कि केंद्रीय

सरकार 'सहमत श्रम बजट' या 'सहमत श्रम बजट' तैयार करने की प्रक्रिया तैयार नहीं कर सकती है।

यह अस्वीकार्य है या कि धन जारी करने पर एक अनौपचारिक सीमा है। [पैरा 27] [411-डी-एफ]

2.1 यदि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई निधियों में किसी प्रकार की सीमा या अनुचित कमी है, तो वास्तव में संबंधित राज्य सरकार को निधियों की सीमा और अनुपलब्धता पर आपत्ति करनी चाहिए। न्यायालय को किसी भी राज्य द्वारा इस आशय की कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई है कि उसने

विभिन्न गतिविधियों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन प्राप्त किया। राज्य सरकारों द्वारा धन के लिए कोई आपत्ति या मांग (और केंद्र सरकार द्वारा धन से इनकार) किए जाने के अभाव में, याचिकाकर्ता को ऐसा विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे वास्तव में प्रभावित राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। [पैरा 24] [410-डी-एफ]

3. केंद्र सरकार के अनुसार, भुगतान में देरी के संबंध में, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एक और मातृ मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में कुछ ढिलाई बरती जाती है, जब मातृ मंजूरी सहमत [2018] 5 एस. सी. आर. के आधार पर दी जाती है।

श्रम बजट "थकावट के करीब है या समाप्त हो गया है। यह एक अड़चन है जिसका समाधान किया जाना चाहिए और जैसा कि हलफनामे में कहा गया है, राज्य के परामर्श से चेकलिस्ट तैयार की गई हैं प्रस्तावों के सुचारू प्रसंस्करण की सुविधा के लिए सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। शायद कुछ और करने की आवश्यकता है और इसका समाधान ढूंढना ग्रामीण विकास मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा धन जारी करने में देरी को कम करने के लिए अपनाए गए सकारात्मक उपायों में से एक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ मध्यावधि समीक्षा करना है। [पारस 25 और 26] [411-ए-सी]

4.1 अधिनियम की धारा 3 (3) और धारा 3 (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने उसे इस अधिनियम के तहत दिया गया काम किया है।

योजना, मजदूरी प्राप्त करने की हकदार होगी और दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख के बाद एक पखवाड़े के बाद नहीं होगा जिस दिन ऐसा काम किया गया था। अधिनियम की अनुसूची II में ग्रामीण रोजगार की गारंटी और मजदूरों के न्यूनतम अधिकारों की शर्तों का उल्लेख है।

पैराग्राफ 29 मजदूरी भुगतान से संबंधित है और इसका बहुत महत्व है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि यदि कस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी मांगने वाला या मजदूर देरी के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन के बाद देरी के प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी का 0.05%। इस प्रकार, प्रावधान समय पर भुगतान और विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे को अनिवार्य करते हैं।

[पैरा 29,30 और 31] [411-जी-एच; 412-ए-सी; 413-ई]

4.2 यह स्वीकार करते हुए और सराहना करते हुए कि मजदूरी के भुगतान में देरी हो रही है (चाहे जो भी कारण हो) केंद्र सरकार कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि मजदूरी के भुगतान में देरी न हो। केंद्र सरकार ने 15 दिनों के भीतर मजदूरी के भुगतान के लिए समय सीमा का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए नियम बनाने या अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा की है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने तैयार किया है और

इस संबंध में जारी किए गए नियम या अधिसूचनाएं या दिशानिर्देश या सलाह। [पैरा 35 और 36] [416-बी-डी; 417-ए-बी]

4.3 कानून मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता और वास्तव में अनिवार्य करता है।

उस तारीख के एक पखवाड़े के बाद नहीं जिस दिन काम स्वराज अभियान (VI) v था।

भारत और ओआरएस का संघ।

श्रमिक या मजदूर द्वारा किया गया। मजदूरी प्राप्त करने में देरी का कोई भी कारण श्रमिक की चिंता का विषय नहीं है। वह या वह कार्य पूरा होने के एक पखवाड़े के भीतर देय मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है। यदि कोई प्रशासनिक अक्षमता या कमियां या ढिलाई है, तो समस्या का समाधान करना पूरी तरह से राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है। नौकरशाही देरी या लालफीताशाही को श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से इनकार करने के बहाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह सटीक रूप से किसी भी अक्षमता या कमी को दूर करने के लिए है कि मुआवजे का भुगतान किया जाता है, अन्यथा अधिनियम की अनुसूची II की धारा 3 और अनुच्छेद 29 का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। भुगतान में देरी कई करोड़ जोड़ती है।

क्षतिपूर्ति बिल। यह किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है और केवल केंद्र सरकार पर एक टालने योग्य वित्तीय बोझ जोड़ता है। [पारस 39 और 40] [417-ई-एच; 418-ए]

4.4 केंद्र सरकार को पीछे हटते हुए नहीं देखा जा सकता

अपनी जिम्मेदारी से या किसी ऐसे व्यक्ति का लाभ उठाना जिसे अधिनियम के तहत रोजगार पाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रखा गया है और फिर वैधानिक रूप से निर्धारित समय के भीतर अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की गलती हो सकती है, लेकिन यह केंद्र सरकार को अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। [पैरा 41] [418-सी]

4.5 इसलिए, यह स्पष्ट और निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम और अनुसूची II के संदर्भ में एक कर्मचारी भुगतान का हकदार है।

जिस तारीख को काम किया गया था, उसके एक पखवाड़े के भीतर मजदूरी, जिसमें विफल रहने पर श्रमिक अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 29 में निर्धारित मुआवजे का हकदार है। द. अनुपालन का भार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी है। एक इकाई दूसरे पर बोझ नहीं डाल सकती और इसके विपरीत। ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार

विकास, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के परामर्श से, श्रमिकों को मजदूरी और मुआवजे का भुगतान करने के लिए एक तत्काल समयबद्ध अनिवार्य कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। यह न केवल उन श्रमिकों के हित में है जिन्होंने अकुशल शारीरिक श्रम खर्च किया है, बल्कि कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए भी है जिसका अक्षर और भावना से पालन किया जाना चाहिए। [पारस 44 और 45] [419-जी-एच; 420-ए-सी] [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

857 2015 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सुश्री सुप्रिया जुनेजा, कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, ए. पी. मयी, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, सुश्री हेमतिका वाही, सुश्री शोधिका शर्मा, अनिल ग्रोवर, डॉ. मोनिका गुसैन, मनप्रीत कौर भल्ला, संजय कुमार विसेन, अजय मारवाह, मूल सिंह, वरिंदर कुमार शर्मा, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, मोहम्मद। वाकास, वी. एन. रघुपति, लीशांगथेम रोशमानी ख। , सुश्री मैबाम बबीना, निशांत

कटनेश्वरकर, रंजन मुखर्जी, डेनियल स्टोन लिंगदोह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, सिबो शंकर मिश्रा, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दुहून, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री सिमरान जीत, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत कुमार। त्यागी (एम/एस के लिए। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स), बी. विनोद कन्ना, ए. श्रीराम, अक्षत कुमार, उपेंद्र मिश्रा, राजीव नंदा, भुपेश नरूला, के. वी. जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, वी. जी. प्रगसम, प्रभु रामसुब्रमण्यन, एस. मनुराज, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे. 1. 9 अगस्त, 2017 को इस न्यायालय की कार्यवाही के अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस मामले से संबंधित तीन मुद्दों को उजागर करना चाहेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम) और उसके तहत बनाई गई योजना का कार्यान्वयन। ये मुद्दे हैंः

1. मजदूरी और मुआवजे के भुगतान में देरी

अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजना के तहत लाभार्थी।

2. व्यक्ति दिवसों में कमी और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुमान से धन के आवंटन में कमी

और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन।

स्वराज अभियान (VI) v. भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

3. सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव।

2. हमने इन मुद्दों के संबंध में याचिकाकर्ता के साथ-साथ विद्वान महान्यायवादी के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और

विभिन्न शपथपत्रों और लिखित प्रस्तुतियों को भी देखा।

3. यह अधिनियम संसद द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसमें ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सौ दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। हाथ से काम करना।

4. अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)

प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं

अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में इस तरह के काम के कम से कम सौ दिन। धारा 3 (3) में प्रावधान है कि दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में ऐसा काम किए जाने के एक पखवाड़े के बाद नहीं किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार हैः

हर काम का दिन।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख के बाद एक पखवाड़े के बाद नहीं किया जाएगा जिस दिन ऐसा काम किया गया था।

(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, गारंटी की अवधि से परे किसी भी अवधि के लिए एक योजना के तहत घर के प्रत्येक वयस्क सदस्य को काम सुरक्षित करने के लिए प्रावधान

उप-धारा (1) के तहत, जो समीचीन हो।

5. अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि इसकी धारा 3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार एक योजना [2018] 5 एस. सी. आर. बनाएगी।

योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना और जिनके वयस्क सदस्य, आवेदन द्वारा, अधिनियम और योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

6. अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में एक कार्य योजना तैयार की गई है और यह लागू है और इस संबंध में कोई विवाद नहीं है।

स्वीकृत श्रम बजट और धन के आवंटन के माध्यम से व्यक्तिगत दिनों में कमी

7. इस शीर्ष के तहत याचिकाकर्ता की शिकायत संक्षिप्त रूप से है

भारत संघ द्वारा 14 मार्च, 2018 की अपनी लिखित प्रस्तुतियों में निम्नानुसार कहा और समझा गया है:

(क) "स्वीकृत श्रम बजट" अधिनियम के सार का उल्लंघन करता है जिसमें किसी भी रूप में श्रम बजट में बदलाव करने में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) श्रम बजट अनुमानों को अधिनियम 1 की अनुसूची I की धारा 14 (6) और अनुच्छेद 7 में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और श्रम बजट में कोई भी कमी अधिनियम की भावना के खिलाफ है।

(ग) केंद्र सरकार ने विवेकाधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

यह तय करने की शक्तियाँ कि कोई राज्य उत्पादन पर कितना खर्च कर सकता है

रोजगार।

(घ) राज्य सरकार के आने के बाद मस्टर रोल का उत्पादन रोक दिया जाता है।

यह "स्वीकृत श्रम बजट" तक पहुँच गया है।

याचिकाकर्ता की शिकायत को समझने के लिए अधिनियम के कुछ और प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

श्रम बजट को मंजूरी

8. संविधान का अनुच्छेद 243-जी 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है और प्राधिकरण जो उन्हें संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो

राज्य सरकार की।

1 पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित, सहभागी योजना अभ्यास होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक विस्तृत कार्यप्रणाली के अनुसार हर साल अगस्त से दिसंबर महीने के बीच आयोजित किया जाएगा। निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य

ग्राम पंचायतों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे कार्य जिन्हें मध्यवर्ती पंचायतों या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाना है, उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ मध्यवर्ती या जिला पंचायतों के समक्ष रखा जाएगा।

9. अधिनियम की धारा 14 में एक जिले की नियुक्ति का प्रावधान है।

कार्यक्रम समन्वयक जो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो या कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा तय किए गए उपयुक्त पद का कोई अन्य जिला स्तर का अधिकारी हो। जिला कार्यक्रम समन्वयक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अन्य कार्यों के अलावा जिले में योजना को लागू करेगा।

10. अधिनियम की धारा 14 (6) जिला कार्यक्रम की अपेक्षा करती है।

समन्वयक प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक श्रम बजट तैयार करेगा जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य की प्रत्याशित मांग और योजना के तहत आने वाले कार्यों में मजदूरों को शामिल करने की योजना का विवरण होगा और इसे जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

11. चरण दर चरण आवश्यकता (जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है)

और जिसमें भारत संघ द्वारा कोई गंभीर असहमति नहीं जताई गई है) 2 कार्यों की पहचान के लिए, अधिनियम और योजना के तहत श्रम बजट को अंतिम रूप देने, योजना बनाने और अनुमोदन के लिए निम्नानुसार हैः

अधिनियम की धारा 16 (1):

चरण 1 ग्राम पंचायत

होने वाले कार्यों की पहचान करें

क्षेत्र के आधार पर लिया गया

" ग्राम पंचायत होगी

की सिफारिशें

पहचान के लिए जिम्मेदार

ग्राम/वार्ड सभा

ग्राम सभा में परियोजनाएं

ए के अंतर्गत लिया जाने वाला क्षेत्र

योजना के अनुसार

ग्राम की सिफारिशें

सभा और वार्ड सभा और

निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए

कार्य "।

चरण 2 ग्राम पंचायत को

अधिनियम की धारा 16 (4):

कार्यों को आगे बढ़ाएँ

ग्राम द्वारा पहचाना गया

" ग्राम पंचायत करेगी

कार्यक्रम के लिए सभा

के लिए अपने प्रस्तावों को आगे बढ़ाएँ

जांच के लिए अधिकारी +

विकास परियोजनाओं सहित

प्रारंभिक मंजूरी

के बीच प्राथमिकता का क्रम

विभिन्न प्रकार के कार्य

जाँच के लिए कार्यक्रम अधिकारी

और पूर्व में प्रारंभिक अनुमोदन

जिस वर्ष यह प्रस्तावित किया गया है

फांसी दी जाए "।

2 अनिवार्य रूप से यह केवल एक प्रक्रियात्मक मामला है। अगर कोई 'असहमति' है तो उसमें बहुत अधिक नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

चरण 3 कार्यक्रम अधिकारी

अधिनियम की धारा 15 (4):

ब्लॉक स्तर

योजनाओं को समेकित करता है

" कार्यक्रम अधिकारी करेगा

ऑलग्राम द्वारा प्राप्त किया गया

ब्लॉक के लिए एक योजना तैयार करें

पंचायतें

द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में

परियोजना को समेकित करना

द्वारा तैयार प्रस्ताव

ग्राम पंचायत और

से प्राप्त प्रस्ताव

मध्यवर्ती पंचायतें "

अधिनियम की धारा 16 (3) (बी):

चरण 4 ब्लॉक पंचायत से

ब्लॉक स्तर को मंजूरी दें

तैयार की गई योजना

" ब्लॉक स्तर को मंजूरी देना

कार्यक्रम अधिकारी और

इसे अग्रेषित करने की योजना बनाएँ

इसे अग्रेषित करना

जिला पंचायत में

जिला पंचायत के लिए

फाइनल के लिए जिला स्तर

मंजूरी

मंजूरी "

अधिनियम की धारा 13 (3) (ए):

चरण 5 जिला कार्यक्रम

समन्वयक को

" जिला कार्यक्रम

सभी ब्लॉक को समेकित करें

स्तर की योजनाएँ और इसे प्रस्तुत करें

समन्वयक "समेकित" करेंगे

जिला पंचायत को

लागू करने से प्राप्त

में शामिल करने के लिए एजेंसियां

होने वाली परियोजनाओं का शेल्फ

पंचायत द्वारा अनुमोदित

जिला स्तर "

चरण 6 जिला पंचायत

अधिनियम की धारा 13 (2) (ए):

अंतिम रूप देता है और मंजूरी देता है

ब्लॉक-बुद्धिमान कार्य होने चाहिए

" के कार्य

के तहत लिया गया

जिला स्तर पर पंचायतें

योजना

होगा।

अंतिम रूप देने के लिए

और

ए।

ब्लॉक-वार अनुमोदन करें

होने वाली परियोजनाओं

का
शेल्फ

ए के तहत लिया गया

कार्यक्रम के तहत

उपरोक्त अभ्यास पूरा होने के बाद जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका शुरू होती है।

12. इस स्तर पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हैः (i) राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वास्तव में निर्माण में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए कार्यक्रमों और पंचायत की विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय के बारे में; (ii) प्रावधान और कदम प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या और निधि की आवश्यकता का आधार बनते हैं; (iii) बनाई गई आवश्यकताएं अग्रिम और सांकेतिक होती हैं। 13. याचिकाकर्ता का निवेदन है कि अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से, प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति से विस्तृत जानकारी प्राप्त करती है।

जिला और एक श्रम बजट तैयार करता है जो संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित खर्च और आवश्यक व्यक्ति दिवसों को इंगित करता है, हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार एक अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से वार्षिक श्रम बजट पर इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करती है।

राज्य सरकारें और इस तरह की चर्चाओं के बाद, एक 'सहमत श्रम बजट' (श्रम बजट से अलग) तैयार किया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन चर्चाओं या श्रम बजट पर सहमति का कोई सवाल ही नहीं है, विशेष रूप से जब जिला कार्यक्रम समन्वयक और पंचायत द्वारा एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है।

14. दूसरी ओर, अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार का विचार है कि कुछ राज्य सरकारें पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं

प्रस्तावित श्रम बजट का उपयोग करें और इसलिए चर्चा के माध्यम से, श्रम बजट को आवश्यक व्यक्ति दिवसों के आधार पर उचित रूप से तर्कसंगत बनाया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा इसका विरोध किया गया है।

15. याचिकाकर्ता की आगे की शिकायत यह है कि सहमत श्रम बजट प्रत्येक वित्तीय व्यय के लिए एक सीमा के रूप में काम करता है।

वर्ष और मस्टर रोल की पीढ़ी को रोक दिया जाता है। इसलिए, भले ही कुछ बेरोजगार व्यक्ति कुछ अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, लेकिन खर्च पर एक अनौपचारिक सीमा के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है।

16. अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि सबसे पहले इसके लिए 'सहमत श्रम बजट' नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक बार राज्य सरकार [2018] 5 एस. सी. आर. की मांग उठाती है।

अधिनियम के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को राशि में कोई कमी किए बिना धन जारी करना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दूसरी आपत्ति यह है कि यदि राशि

राज्य सरकार द्वारा मांग की गई राशि जारी नहीं की जाती है, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि कुछ व्यक्तियों को धन की कमी और धन की उपलब्धता पर अनौपचारिक सीमा के कारण भी रोजगार नहीं मिल पाएगा।

17. हम दोनों प्रस्तुतियों पर विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं। हम उल्लेख कर सकते हैं कि हम पहले ही कुछ से निपट चुके हैं

13 मई, 2016 के हमारे निर्णय और आदेश में इस मुद्दे के पहलू और इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

18. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष नियम, 2006 के नियम 5 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर से अनुदान जारी करने का प्रावधान है।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को रोजगार गारंटी कोष (एन. ई. जी. एफ.)। यह निर्धारित करता है किः

" (1) 31 जनवरी को या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले, राज्य सरकारों और केंद्र के सभी सचिव

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर सकता है और राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है। और कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश

अधिनियम और जारी की जाने वाली राशि का अनुमान

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राष्ट्रीय कोष से।

(4) राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को धन जारी करना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

[हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

19. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी चीज के अलावा, केंद्र सरकार को सांविधिक रूप से धन की जांच और मूल्यांकन करने का अधिकार है

3 स्वराज अभियान (III) v. भारत संघ और अन्य।

(2016) 7 एस. सी. सी. 544 स्वराज अभियान (VI) v. भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया जाएगा

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के परामर्श से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि 'सहमत श्रम बजट' या 'अनुमोदित श्रम बजट' केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से तय किया जाता है। हम इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखते हैं, विशेष रूप से क्योंकि प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित है।

निधियों पर सीमा

20. इसे भारत संघ द्वारा अपने अभिलेख में लाया गया है।

4 दिसंबर, 2017 का हलफनामा कि न केवल धन जारी करने की कोई अनौपचारिक सीमा है, बल्कि जब भी आवश्यकता होगी, सहमत श्रम बजट के अलावा आवश्यक धन जारी किया गया है। यह कहा गया है कि 2015-16 में 16 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हैं।

प्रशासन ने सहमत श्रम बजट को पार कर लिया था और धन जारी कर दिया गया था। 2016-17 में 20 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने 'सहमत श्रम बजट' और जारी की गई धनराशि को पार कर लिया था। 12 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा 'सहमत श्रम बजट' और जारी किए गए धन से अधिक के साथ यह स्थिति 2017-18 के लिए समान थी। यह तभी संभव है जब कोई सीमा न हो, अनौपचारिक या अन्यथा और मस्टर रोल का उत्पादन जारी रहे। 21. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां दो राज्यों त्रिपुरा और तेलंगाना को जारी किए गए धन की कमी थी।

22. इस संबंध में, यह विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया था

सामान्य तौर पर यह कि जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, धन के दुरुपयोग के अर्थ में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे और इसकी जांच की जा रही थी। यह बताया गया था कि उपलब्ध कराई गई धनराशि उपलब्ध नहीं थी

जिसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उन्हें रिहा किया गया था। हमें इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इसे वहीं छोड़ दें।

23. जहाँ तक तेलंगाना राज्य का संबंध है, यह कहा गया था

कि राज्य के अधिकारियों के अनुसार जून 2017 तक ही 100% का उपयोग किया गया था जो लगभग दो महीने की अवधि में है। हमें इसकी सराहना करना मुश्किल लगता है और वास्तव में हमें विद्वानों द्वारा सूचित किया गया था। 4 लिखित प्रस्तुतियों की तारीख, यानी 13 अप्रैल, 2018 तक, लेकिन आंकड़े अधूरे बताए जाते हैं।

महान्यायवादी ने कहा कि तथ्यात्मक स्थिति अन्यथा है और यह पाया गया कि तेलंगाना 'श्रम बजट के लिए सहमत' के अनुसार जारी किए गए धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। 13 अप्रैल, 2018 को भारत संघ द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में इस प्रकार कहा गया हैः

" हालांकि, राज्य ने वित्त वर्ष 2015-16 को छोड़कर कभी भी 12 करोड़ मानव दिवसों को पार नहीं किया है, जो एक गंभीर सूखा वर्ष था और

केंद्र द्वारा अतिरिक्त 50 दिनों का प्रावधान किया गया था

सरकार राष्ट्रीय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करेगी। मंत्रालय के साथ उचित परामर्श के बाद राज्य वित्त वर्ष के लिए 12 करोड़ कार्य दिवसों के लिए सहमत हो गया। यह वित्त वर्ष के स्वीकृत श्रम बजट 2016-17 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक था।

योजना के तहत काम की बढ़ती मांग पर विचार किया गया। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना को अब तक का सबसे अधिक आवंटन (रु। वित्त वर्ष में मनरेगा निधियों का 2539.20 करोड़) 2017-18। वित्त वर्ष 2017-18 में धन की कोई कमी नहीं होने के बावजूद, राज्य श्रम के लिए सहमत राशि का 100% उत्पन्न नहीं कर सका

बजट "।

24. हमारी राय में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि धन में किसी प्रकार की सीमा या अनुचित कमी है।

राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाए तो यह वास्तव में संबंधित राज्य सरकार का काम है कि वह धन की सीमा और अनुपलब्धता पर आपत्ति करे। हमें किसी भी राज्य द्वारा इस आशय की कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई है कि उसे विभिन्न गतिविधियों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन नहीं मिला है। राज्य सरकारों द्वारा धन के लिए कोई आपत्ति या मांग (और केंद्र सरकार द्वारा धन से इनकार) किए जाने के अभाव में हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को ऐसा तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे वास्तव में प्रभावित राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए।

25. ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार

विकास ने 3 जनवरी, 2018 के अपने हलफनामे में यह विचार व्यक्त किया है कि योजना का कार्यान्वयन राज्यों की जिम्मेदारी है और इसलिए, कार्यान्वयन के लिए धन प्राप्त करना राज्यों की जिम्मेदारी है। हम इस पूर्ण कथन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से जब यह भुगतान में देरी से संबंधित है। यह सच है कि जब सहमत श्रम बजट के आधार पर मदर मंजूरी समाप्त होने के करीब है या समाप्त हो जाती है, तो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दूसरा मदर प्राप्त करना होगा।

केंद्र सरकार को अपेक्षित स्वराज अभियान (VI) प्रदान करके मंजूरी।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा इस संबंध में कुछ ढिलाई बरती जा रही है, जिसे सामान्य वित्तीय नियमों को देखते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक अड़चन है जिसका समाधान किया जाना चाहिए और जैसा कि हलफनामे में कहा गया है, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करके चेकलिस्ट तैयार की गई हैं प्रस्तावों के सुचारू प्रसंस्करण की सुविधा के लिए प्रशासन। शायद

कुछ और करने की आवश्यकता है और हम इसका समाधान खोजने के लिए इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय पर छोड़ देते हैं।

26. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा धन जारी करने में देरी को कम करने के लिए अपनाए गए सकारात्मक उपायों में से एक है मध्य अवधि का आयोजन करना। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ कार्यकाल की समीक्षा। ऐसी ही एक मध्यावधि समीक्षा 29 अगस्त, 2017 से 13 अक्टूबर, 2017 तक आयोजित की गई थी ताकि उन्हें वित्तीय मानदंडों और धन जारी करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए पालन की जाने वाली चेकलिस्ट पर "पुनर्निर्धारित" किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि 2018-19 के लिए और बाद के वर्षों के लिए किसी भी संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए इसी तरह की कवायद आयोजित की जाएगी।

27. हम श्रम बजट को मंजूरी या अंतिम रूप देते समय सार्थक चर्चा की आवश्यकता को दोहराते हैं। तथ्य यह है कि इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 'श्रम बजट के लिए सहमति' द्वारा अनुमानित व्यय को पार कर लिया है, यह एक संकेत है कि इस योजना को या तो बेरोजगारों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जा रहा है या अधिकार प्राप्त समिति को एक बड़ा लाभ मिल रहा है। थोड़ा तंग-मुट्ठी। यह सराहना की जानी चाहिए कि धन जारी करना एक अच्छे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए है और इसलिए त्वरित और पर्याप्त है।

धन की उपलब्धता उद्देश्य होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि केंद्र सरकार 'सहमत श्रम बजट' तैयार नहीं कर सकती है या 'सहमत श्रम बजट' तैयार करने की प्रक्रिया अस्वीकार्य है या धन जारी करने पर एक अनौपचारिक सीमा है।

मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए मुआवजा

28. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा लाभार्थियों को मजदूरी के भुगतान में देरी और इसे बनाने का है।

इससे भी बदतर, अधिनियम के संदर्भ में उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं।

29. अधिनियम की धारा 3 (3) और धारा 3 (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने योजना के तहत उसे दिया गया काम किया है, मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे और दैनिक मजदूरी का वितरण

साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख के बाद एक पखवाड़े से बाद में नहीं जिस दिन ऐसा काम किया गया था।

30. इस संदर्भ में, अधिनियम की अनुसूची II में ग्रामीण रोजगार की गारंटी और न्यूनतम पात्रता की शर्तों का उल्लेख किया गया है।

मजदूर। पैराग्राफ 29 मजदूरी भुगतान से संबंधित है और इसका बहुत महत्व है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाला या मजदूर बंद होने के सोलहवें दिन के बाद प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% पर देरी के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

मस्टर रोल।

अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 29 इस प्रकार हैः

" मजदूरी भुगतानः

इच्छुक व्यक्ति प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से देरी के लिए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।
मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन से आगे की देरी।

(क) मुआवजे के भुगतान में देरी होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के बाद

देय को उसी तरीके से माना जाएगा जैसे मजदूरी के भुगतान में देरी को माना जाता है।

(ख) मजदूरी के भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभिन्न के दोष की गणना करने के उद्देश्य से

पदाधिकारी या अभिकरण, राज्य निर्धारण और भुगतान की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को विभाजित करेंगे

विभिन्न चरणों में मजदूरी जैसे कि

आई. कार्य का मापन;

ii. मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण;

iii. मापों का कम्प्यूटरीकरण;

iv. मजदूरी सूचियों का सृजन; और

वी. निधि अंतरण आदेश (एफ. टी. ओ.) अपलोड करना,

और जिम्मेदार पदाधिकारी या एजेंसी के साथ चरण-वार अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट करें।

विशिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए।

(ग) कंप्यूटर प्रणाली में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख और उनके खातों में मजदूरी जमा करने की तारीख के आधार पर देय मुआवजे की स्वचालित रूप से गणना करने का प्रावधान होगा।

वेतन पाने वाले।

(घ) राज्य सरकार ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उचित सत्यापन के बाद मुआवजे का अग्रिम भुगतान करेगी और भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों से मुआवजे की राशि की वसूली करेगी।

(ई)

यह उस जिला कार्यक्रम का कर्तव्य होगा। समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि

सिस्टम चालू है।

देरी के दिनों की संख्या, मुआवजा

(च)

देय और वास्तव में भुगतान में परिलक्षित होगा

निगरानी और सूचना प्रणाली और श्रम बजट।

(2) उप-अनुच्छेद (1) का प्रभावी कार्यान्वयन होगा -

धारा 27 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा गया

अधिनियम "।

विलंबित भुगतान के लिए। इस पर जोर देने की आवश्यकता है। 32. केंद्र सरकार यह स्वीकार करती है कि मजदूरी के भुगतान में देरी हुई है और देरी के कुछ कारण हैं -

समझाया। इनमें उपस्थिति पत्रक भरने में देरी, काम के मापन में देरी, चेक मापन में देरी, वेतन सूची बनाने में देरी और राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवश्यक दस्तावेज जमा न करना या आंशिक रूप से जमा न करना आदि शामिल हैं। चूंकि धन सामान्य वित्तीय नियमों (जी. एफ. आर.) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है और यदि राज्य सरकारें जी. एफ. आर. के अनुसार कागजात या दस्तावेज जमा नहीं करती हैं, तो उक्त मंत्रालय के लिए धन जारी करना मुश्किल है।

33. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि मजदूरी के भुगतान में देरी का एक प्रमुख कारण राज्य सरकार है स्वीकृत या सहमत श्रम [2018] 5 एस. सी. आर. के अनुसार भी अपर्याप्त धन होना।

बजट। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मजदूरी भुगतान प्रक्रिया या मजदूरी चक्र निम्नानुसार हैः

मनरेगा मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

एस. आई. गतिविधि

वर्णन

जिम्मेदारी

1 .

मस्टर रोल

मस्टर रोल एक है

राज्य सरकार

बंद है

दस्तावेज़, जो

उपस्थिति दर्ज करें

कर्मचारियों में

कार्यस्थल

की डेटा प्रविष्टि

2 .

इसका विवरण

राज्य सरकार

मस्टर रोल

उपस्थिति और

का मापन

+

किया गया काम दर्ज किया जाता है

मापन

प्रबंधन में

ठीक है।

सूचना प्रणाली।

3 .

पीढ़ी

इन दो वस्तुओं के बाद

राज्य सरकार

अभिलिखित है,

मजदूरी सूची

देय मजदूरी

कर्मचारी की गणना की जाती है

स्थानांतरण आदेश (एफ. टी. ओ.) उत्पन्न होता है।

इसे मंजूरी मिल गई है।

1 सेंट हस्ताक्षर

राज्य सरकार

4 .

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ए

कोष पर

निर्दिष्ट प्राधिकारी।

स्थानांतरण आदेश दें

इसकी दो आवश्यकताएँ हैं।

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर।

यह "निर्माता" है

भाग।

2 दूसरे हस्ताक्षर

5 .

पहले के बाद

राज्य सरकार

हस्ताक्षर, यह है

कोष पर स्थानांतरण

इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया

दूसरा हस्ताक्षरकर्ता।

आदेश दें

यह "चेकर" है

भाग। यह तब मिलता है

ई-वेतन के रूप में आगे बढ़ाया गया

ऑर्डर करें मनरेगा सर्वर।

6 .

भेजा गया।

केंद्रीय

ये फाइलें तब हैं

से खींचा गया

सरकार /

सार्वजनिक कोष

मनरेगा सर्वर को

प्रबंधन

भुगतान एजेंसी

प्रणाली (चलाएँ)

सार्वजनिक कोष

मंत्रालय द्वारा

प्रबंधन प्रणाली

वित्त)

(पी. एफ. एम. एस) सर्वर। द. निम्नलिखित कदम

प्रबंधन प्रणाली

इन फाइलों को भेजेंगे

मान्यता प्राप्त बैंक।

मान्यता प्राप्त बैंक

फाइलों को भेजेगा

प्रायोजक बैंक।

प्रायोजक बैंक करेगा

राष्ट्रीय भुगतान

भारतीय निगम।

पीएफएमएस शेयर

के साथ प्रतिक्रियाएँ

एन. आर. ई. जी. ए. सॉफ्ट.

पी. एफ. एम. एस विंडो

केंद्रीय

7 .

राज्य को भेजा गया

काल्पनिक रूप से इसे भेजता है

सरकार /

रोजगार

राज्य रोजगार

गारंटी

भुगतान एजेंसी

गारंटी कोष। यह

कोष

इसके तहत बैंक खाता

एन. ई. एफ. एम. एस

एन. ई. एफ. एम. एस. केवल वेतन भुगतान के लिए।

वैचारिक रूप से

केंद्रीय

8 .

डाक को भेजा गया

से गुजरते हुए

सरकार /

कार्यालय/बैंक

राज्य रोजगार

भुगतान एजेंसी

गारंटी कोष यह है

फिर डाक को भेज दिया

कार्यालय/बैंक।

में जमा किया गया

केंद्रीय

9 .

भुगतान एजेंसी

पैसे जमा करें

सरकार /

कर्मचारी

कर्मचारियों के लिए

भुगतान एजेंसी

खाता

खाता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. याचिकाकर्ता के अनुसार, केंद्र के कारण हुई देरी

मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से कदम संख्या 6 से 9 में सरकार को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र

सरकार भुगतान के लिए किसी भी दायित्व से अपने हाथ धो लेती है

क्षतिपूर्ति।

35. यह स्वीकार करते हुए और सराहना करते हुए कि भुगतान में देरी हो रही है

मजदूरी (जो भी कारण हो) केंद्र सरकार ने अपने लेख में कहा है।

4 दिसंबर, 2017 का शपथ पत्र कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि मजदूरी के भुगतान में देरी न हो। शुरू में, देरी को साबित करने और मुआवजे का दावा करने की जिम्मेदारी श्रमिक पर थी, लेकिन अब (जनवरी 2014 से) यह प्रावधान किया गया है कि मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जो मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार चूक करने वाले पदाधिकारी/एजेंसी से मुआवजे की वसूली कर सकती है। दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार ने मजदूरी के समय पर भुगतान के महत्व को महसूस किया है और उसकी सराहना की है

श्रमिकों को संबोधित किया और इस संबंध में कदम उठाए हैं। द सेंट्रल

सरकार ने 15 दिनों के भीतर मजदूरी के भुगतान के लिए निम्नलिखित समय सीमा का सुझाव दिया हैः

पी

रियाड

प्रक्रियाएँ

टी +

8

चरण-I ई-मस्टर के अनुसार मस्टर रोल की अंतिम तिथि

टी.

एम. आई. एस. में उपस्थिति का डेटा प्रविष्टि

टी +

2

कार्य का मापन और उसी में प्रवेश करना

टी +

5

एन. आर. ई. जी. ए. एस. ओ. टी. में

मजदूरी सूची का सृजन।

टी +

6

एफ. टी. ओ. की पीढ़ी (प्रथम हस्ताक्षरकर्ता)।

टी +

7

भुगतान के लिए एफ. टी. ओ. की स्वीकृति (दूसरा हस्ताक्षरकर्ता)।

टी +

8

चरण-II

टी +

9 से टी + 15

एम. ओ. आर. डी. के यू. एस. द्वारा भुगतान आदेशों पर हस्ताक्षर (में)

टी +

9 से टी + 11

एन. ई. एफ. एम. एस. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) द्वारा लाभार्थी के बैंक खातों में जमा करना

टी +

10 से टी + 15

एफ. आई. एस. स्वराज अभियान (VI) v. भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

36. उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इसे तैयार करने की अपेक्षा की है

देरी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए नियम या अधिसूचना जारी करें मजदूरी का भुगतान। जैसा कि 4 दिसंबर, 2017 के हलफनामे में कहा गया है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे तैयार किया है और जारी किया है

इस संबंध में नियम या अधिसूचनाएं या दिशानिर्देश या सलाह।

37. केंद्र सरकार ने 14 मार्च, 2018 को अपनी लिखित दलीलों में कहा है कि अधिनियम के तहत मुआवजे की परिकल्पना की गई है

यह केवल विभिन्न राज्य अधिकारियों की अक्षमता के कारण होने वाली देरी के लिए है। इसलिए, क्षतिपूर्ति केवल निधि अंतरण आदेश अपलोड करने में देरी के लिए है और यह उसके बाद होने वाली किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

38. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मंत्रालय में व्यय विभाग द्वारा तैयार किए गए एक नोट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है

भारत सरकार का वित्त। यह नोट 21 अगस्त, 2017 का है और याचिकाकर्ता के 30 नवंबर, 2017 के पूरक हलफनामे का एक हिस्सा है। नोट 8 अगस्त, 2017 के व्यापार मानक में एक लेख की सामग्री को (प्रासंगिक सीमा तक) इस प्रभाव से स्वीकार करता है कि "वर्तमान नियम एफ. टी. ओ. एस. (निधि हस्तांतरण) के निर्माण के बाद भुगतान में देरी की गणना या क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं।

आदेश] "। यह सच है कि औसतन एक दिन में 10 से 15 लाख वेतन आदेश जारी किए जाते हैं और ढांचागत अड़चनों के कारण देरी होती है।

धन की उपलब्धता और प्रशासनिक अनुपालन की कमी।

39. बड़ी संख्या में भुगतान आदेशों के बावजूद, हमें डर है कि देरी स्वीकार्य नहीं है। कानून की आवश्यकता है और वास्तव में आदेश देता है

मजदूर या मजदूर द्वारा काम किए जाने की तारीख के एक पखवाड़े के बाद मजदूरी का भुगतान। मजदूरी प्राप्त करने में देरी का कोई भी कारण श्रमिक की चिंता का विषय नहीं है। वह या वह है वे कार्य पूरा होने के एक पखवाड़े के भीतर देय मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि कोई प्रशासनिक अक्षमता या कमियां या ढिलाई है, तो समस्या का समाधान करना पूरी तरह से राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है। नौकरशाही देरी या लालफीताशाही को श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से इनकार करने के बहाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह सटीक रूप से किसी भी अक्षमता या कमी को दूर करने के लिए है कि मुआवजे का भुगतान किया जाता है, अन्यथा अधिनियम की अनुसूची II की धारा 3 और अनुच्छेद 29 का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने वार्षिक मास्टर सर्कुलर (वित्त वर्ष 2017-2018) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति को मान्य करता है कि मुआवजे का भुगतान इससे परे है। एफटीओएस पर हस्ताक्षर। विद्वान वकील द्वारा वार्षिक मास्टर सर्कुलर के प्रासंगिक प्रावधानों पर भरोसा किया गया जो इस प्रकार हैं:

" 10.4 एन. आर. ई. जी. ए. एस. ओ. टी. के पास कुल गणना करने का प्रावधान है।

मस्टर रोल (एम. आर.) के बंद होने की तारीख और मजदूरी का भुगतान करने के लिए वेतन आदेश (निधि हस्तांतरण आदेश) के सृजन की तारीख के आधार पर उचित सत्यापन के बाद देय मुआवजा।

लेखाः ए। खाते में मजदूरी के भुगतान के लिए एफ. टी. ओ. अपलोड करने की तिथि

वेतन पाने वाले।

बी। मस्टर रोल को बंद करने की तिथि।

सी। इस तरह की देरी की अवधि।

डी। कुल देय मजदूरी।

ई. मुआवजे की दर (0.05% प्रति दिन)।

10.5 उचित सत्यापन के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाना है। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी, विलंब मुआवजे के देय होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, यह तय करेगा कि क्या मुआवजे की गणना एन. आर. ई. जी. ए. एस. ए. एफ. एस. डब्ल्यू. ए. आर. ए. जे. अभियान (6) v. द्वारा की गई है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

देय है या नहीं। मुआवजे का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी कोष (एस. ई. जी. एफ.) से किया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/एजेंसियों से इसकी वसूली की जा सकती है।

विलम्ब।

10.6 जब क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है तो अपवाद हैं:

ए। क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

बी। प्राकृतिक आपदाएँ।

10.7 कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मुआवजे के दावों का निपटान निर्धारित समय के दौरान किया जाए, यानी मुआवजे के देय होने के 15 दिनों के भीतर, और ऐसे दावों को स्वीकृति या अस्वीकृति के किसी भी निर्णय के बिना जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्वीकृति के सभी मामलों में, कार्यक्रम अधिकारी एन. आर. ई. जी. ए. एस. ओ. टी. पर अस्वीकृति के लिए विस्तृत कारण (ओं) देगा और इसका रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

उसी तरह, भविष्य के सत्यापन के लिए उसके कार्यालय में। मुआवजे के भुगतान के लिए अनुमोदित सभी मामले मजदूरी के भुगतान के समान तरीके से किए जाएंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक

इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

10.8 निर्धारित समय के दौरान दावों का निपटान करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारी के खाते में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

[हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

निश्चित रूप से, केंद्र सरकार अपने स्वयं के मास्टर सर्कुलर का उल्लंघन नहीं कर सकती है और अन्यथा खुद को किसी भी दायित्व से मुक्त करने की कोशिश नहीं कर सकती है।

43. जाहिरा तौर पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, 13 अप्रैल, 2018 की लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के चरण-I और चरण-II में सुधार के लिए सभी प्रयास कर रहा है। समन्वित प्रयासों के कारण, चरण-I समय पर भुगतान वित्त वर्ष 2017-18 में 26.85 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है और चरण-II वित्त वर्ष 2017-4 में 17 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 43 प्रतिशत हो गया है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मजदूरी के भुगतान में देरी करने या मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए मुआवजे से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है। कोई भी देरी

मजदूरी या मुआवजे का भुगतान वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

44. इसलिए हम यह स्पष्ट और निर्देश देते हैं कि अधिनियम और अनुसूची II के संदर्भ में एक कर्मचारी मजदूरी के भुगतान का हकदार है। जिस तारीख को काम किया गया था, उस तारीख का एक पखवाड़ा, जिसमें विफल रहने पर [2018] 5 एस. सी. आर.

कर्मचारी अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 29 में निर्धारित मुआवजे का हकदार है। अनुपालन का भार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी है। एक इकाई दूसरे पर बोझ नहीं डाल सकती है।

इसके विपरीत।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं

सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तत्काल तैयारी करेंगे

श्रमिकों को मजदूरी और मुआवजे का भुगतान करने के लिए समयबद्ध अनिवार्य कार्यक्रम। यह केवल श्रमिकों के हित में नहीं है जिन्होंने अकुशल शारीरिक श्रम का खर्च किया है, लेकिन कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए भी जिसका अक्षर और भावना से पालन किया जाना चाहिए।

46. सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित तीसरी शिकायत का आग्रह नहीं किया गया था

हमारे सामने।

निष्कर्ष

47. अधिनियम से संबंधित सभी मुद्दे अब बंद हो गए हैं और समाप्त हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने समय-समय पर मौलिक मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

इसका महत्व है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अधिनियम और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। हालाँकि, उसे इन खामियों को दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस अधिनियम के लाखों बेरोजगार व्यक्तियों के जीवन को अंततः छूने से पहले अभी भी कुछ रास्ता तय करना है। याचिकाकर्ता और उक्त मंत्रालय के प्रयास देश के लाखों बेरोजगार व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए निरंतर जारी रहने चाहिए।

देश।

निर्देश जारी किए गए।

कल्पना के. त्रिपाठी